अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला.....सहरसा....., सं0.....67....., सन् .....2024.....

केस का प्रकार..... सेवा अपील .....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
17/03/2025		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः 67/2024

रमेश पासवान.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य .....रेसपॉण्डेन्ट

–::आदेश::–

यह सेवा अपील वाद अपीलार्थी श्री रमेश पासवान, पिता–स्व0 जामुन पासवान, सा0–वार्ड नं0–10, मुरलीगंज, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C No. 14225/2023 में पारित आदेश (15.04.2024) के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 1045/सा0 दिनांक 07.12.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (यथा संशोधित) के तहत "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal), जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी" का दंड अधिरोपित किया गया है।

आरोपी कर्मी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के आरोप का विषय वस्तु यह है कि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक 711/हि0शा0, दिनांक 08.05.2020 द्वारा प्रतिवेदित पुलिस निरीक्षक, मुरलीगंज थाना डी0आर नं0–644/20 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार दिनांक–12.03.2020 को मद्य निषेध चलिष्णु दल, मधेपुरा द्वारा मुरलीगंज थाना के चौकीदार बीट सं0–05/08 श्री रमेश पासवान को शराब का सेवन करने एवं तलाशी के क्रम में उनके पास से इम्पेरियरब्लू नामक शराब (750ml bottle) बरामद किया गया। श्री पासवान का ब्रेथ एनालाईजर टेस्ट किया गया तथा मेडिकल जाँच कराया गया। जिसमें उनके शराब सेवन की पुष्टि की गयी। तदनुसार बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 30(a), 37(b) के अन्तर्गत उत्पाद वाद संख्या 387/2019–20 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्री पासवान के पास से बरामद शराब की जाँच उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया गया जिसमें इथाएल अल्कोहल की मात्रा 28.1 प्रतिशत पाया गया। उक्त वाद में श्री पासवान को दिनांक 12.03.2020 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के उपरोक्त पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 497/सा0 दिनांक 19.05.2020 द्वारा श्री रमेश पासवान चौकीदार बीट सं0–05/08 थाना–मुरलीगंज को उत्पाद वाद सं0–387/2019–20 में लगाये गये आरोपों एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

नियम–9 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12.03.2020 के प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा निर्धारित किया गया तथा उक्त नियमावली के नियम–10 के तहत श्री पासवान को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 373/सा0प्र0 दिनांक 08.06.2020 से श्री पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र "क") के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक–628/सा0, दिनांक–27.06.2020 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी (सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा) द्वारा अपना प्रतिवदेन समर्पित किया गया जिसमें निष्कर्ष के तौर पर आरोपी श्री रमेश पासवान के ऊपर गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। तदोपरांत श्री पासवान निलंबित चौकीदार से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री पासवान का द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं पाते हुए उसे अस्वीकृत करते हुए जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक–1045, दिनांक–07.12.2020 द्वारा श्री रमेश पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (यथा संशोधित) के नियम–14(xi) के तहत "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal), जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी का दंड" अधिरोपित किया गया। प्रस्तुत अपीलवाद उक्त आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन पर लगा आरोप बेबुनियाद, मनगढंत एवं झूठा है। यह मामला माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद के न्यायालय में उत्पाद वाद संख्या 226/2020 लंबित है। अतः न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक विभागीय कार्यवाही चलाकर सेवा से बर्खास्तकिया जाना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। उनका कहना है कि वे स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हैं। घटना के दिन थानाध्यक्ष, मुरलीगंज की अनुमति लेकर एक बारात में शामिल होने जा रहे थे। घटनास्थल (दुर्गा चौक, मुरलीगंज) पर कुछ लोग बेंच पर बैठे थे, जहाँ ग्लास में पानी रखा था। वही ग्लास से पानी लेकर दवा खाया। इसी दौरान उत्पाद विभाग, मधेपुरा की टीम द्वारा घटनास्थल पर एक व्यक्ति को पकड़कर बदसलूकी की जाने लगी, जिसका उन्होंने चौकीदार के हैसियत से विरोध किया। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि वह व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा था, साथ ही उसके पास से इम्पीरियल ब्लू क्लासिक ग्रीन विस्की का एक 750 एम0एल0 की खुली बोतल जिसमें लगभग 150 एम0एल0 शराब बरामद होने का दावा किया गया। टीम ने चालाकी से एक फोरमेट के दोनों तरफ उनका हस्ताक्षर ले लिया, जिसे उन्होंने सामान्य रूप में लिया। पुनः उत्पाद टीम ने उनके द्वारा बदसलूकी की विरोध किए जाने को बुरा एवं अपमानजनक मानते हुए उक्त मामले में उन्हें अभियुक्त बना दिया तथा जब्त की गयी शराब की बोतल को उनके पास से बरामद दिखा दिया गया। उत्पाद टीम द्वारा पूर्व से पकड़े व्यक्ति अनिल भगत पर 386/2019–20 एवं उनके खिलाफ–387/2019–20 दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका यह भी आरोप है कि प्रयुक्त ब्रेथ एनालाइजर मशीन से छेड़छाड़ की गयी। ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा निर्गत प्रतिवेदन पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। उनके खिलाफ प्रयुक्त स्वतंत्र गवाह विकास कुमार ने शपथ–पत्र द्वारा

उनके पास से शराब की बरामदगी से इनकार किया है। दूसरा गवाह मो0 सहादत नाम का कोई व्यक्ति मुरलीगंज में नहीं है। वाद संख्या-386/2019-2020 को काटकर 387/2019-20 बनाया गया। बदसलूकी का विरोध करने पर साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। उनका कभी कोई इस प्रकार का अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वे उत्पाद विभाग, मधेपुरा के पदाधिकारी के आक्रोश का शिकार हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि उनके ऊपर गलत केस दायर है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस कानूनी बिन्दु को भी उठाया गया है कि रिट याचिका संख्या-1430/24 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-13.02.2025 को पारित आदेश के अनुसार केवल ब्रेथ ऐनालाईजर रिर्पोट के आधार पर शराब सेवन का आरोप विधिसम्मत नहीं है। उनका कहना है कि उनके विरूद्ध ब्रेथ एनेलाईजर जाँच के आधार पर कार्रवाई की गयी है। उनके द्वारा उक्त रीट याचिका का आदेश साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से न्यायालय से संबंधित कतिपय कागजात, शपथ पत्र आदि दाखिल करते हुए उनका कहना है कि दस्तावेजीय सबुतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी को सत्यापित करने वाले दोनों स्वतंत्र गवाह की ओर से न्यायालय में आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। श्री विकास कुमार पे0-मदन चौधरी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से उत्पाद विभाग द्वारा दायर वाद के घटना क्रम, जप्ती सूची, शराब बरामदगी आदि के संबंध में अभियोजन पक्ष के विरूद्ध बयान दिया गया है। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित है कि दुसरे गवाह मो0 सदात नामक व्यक्ति नाम का कोई व्यक्ति मुरलीगंज में नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त कतिपय बिन्दु को द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित होने के बावजूद जिला पदाधिकारी-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से बिना आवश्यक समीक्षा एवं जाँच पड़ताल किये तथा मात्र संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बर्खास्तगी का दंड दिया गया है। जबकि आपराधिक मामला वर्तमान में न्यायालय में चल रहा है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तदनुसार जिला पदाधिकारी-सह- अनुशासनिक प्राधिकार के अपीलाधीन आदेश को खंडित करते हुए उन्हें पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के Final बहस को सुना। तथा अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

Findings-

दिनांक-12.03.2020 को उत्पाद विभाग मद्य निषेध चलिष्णु दल द्वारा श्री रमेश पासवान (चौकीदार बीट संख्या-05/08 मुरलीगंज थाना) को शराब सेवन करने तथा इम्पेरियल ब्लू नामक शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी का ब्रेथ एनालाईजर टेस्ट किया गया तथा मेडिकल जाँच कराया गया। जप्त किये गये शराब का उत्पाद रसायन परीक्षण किया गया। आरोपी श्री रमेश पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला पदाधिकारी-सह-अनुशासनिक पदाधिकारी के स्तर से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया। तदोपरांत जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा संगत नियमावली के तहत

इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया।

आरोप का मुख्य बिन्दु यह है कि आरोपी श्री रमेश पासवान द्वारा शराब का सेवन किया गया जिसकी पुष्टि ब्रेथ ऐनालाईजर रिर्पोट में हुआ है। आरोपी श्री रमेश पासवान की ओर से दाखिल रिट याचिका संख्या–14225/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.02.2025 के अनुसार ब्रेथ ऐनालाईजर रिर्पोट को Admissible Evidence नहीं माना गया है। अभिलेख में संलग्न मेडिकल जाँच प्रतिवेदन में आरोपी श्री पासवान के नाक एवं मुह से Aromatic Smell आने का जाँच प्रतिवेदन अंकित है। मेडिकल जाँच रिपोर्ट के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि Mild Alcohal लेने की अभ्युक्ति ब्रेथ ऐनालाईजर रिर्पोट के आधार पर अंकित किया गया है। जो Inconclusive है। इस संबंध में आरोपी द्वारा उठाये गये आपत्ती पर अभियोजन पक्ष की ओर से शराब सेवन को प्रमाणित करने संबंधी जाँच– खुन अथवा पेशाब जाँच का प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में इस महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में आवश्यक विवेचना नहीं किया गया है। गिरफ्तारी ज्ञापन के क्रमांक–6 पर गिरफ्तारी को सत्यापित करने वाले दो व्यक्ति – श्री विकास कुमार पे0–मदन चौधरी तथा मो0 सादात का नाम अंकित है। श्री विकास कुमार पे0–मदन चौधरी द्वारा अभियोजन पक्ष की कार्रवाई को खंडित करने के बयान का शपथ पत्र अभिलेख पर है। उक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित है कि दुसरे गवाह मो0 सदात नामक कोई व्यक्ति मुरलीगंज में नहीं है। शपथ पत्र दिनांक–17.03.2020 का है। गिरफ्तारी ज्ञापन में दुसरे गवाह का नाम मो0 सादात पिता मो0 सादात (एक ही नाम) अंकित है। जो प्रथम दृष्टया पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया को Vitiate करता है। विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी की ओर से उठाये गये उपरोक्त तथ्यात्मक एवं कानूनी बिन्दुओं की आवश्यक जाँच कर निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अभिलेख में उपस्थापित साक्ष्यों की स्थिति से आरोपी श्री रमेश पासवान के विरूद्ध शराब सेवन करने का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

विभागीय कार्यवाही एक Quasi Judicial प्रक्रिया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत यह नितांत अपेक्षित है कि आरोपी सरकारी सेवक द्वारा उठाए गए सभी तथ्यों एवं बिन्दुओं का समुचित समीक्षा वैधानिक प्रावधान के आलोक में करते हुए अभिलिखित की जाय। तथा गुण–दोष के अनुसार निष्कर्ष (Finding) अंकित किया जाय। जबकि प्रस्तुत मामले में आरोपी पदाधिकारी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं तथा तथ्यों के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा –सह– अनुसाशनिक प्राधिकार के स्तर से समुचित Findings अंकित किए बिना ही बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप की सुक्ष्मता से जाँच नहीं की गई है। तथा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा –सह– अनुसासनिक प्राधिकार द्वारा भी उपरोक्त विवेचित Relevant Facts तथा Legal Position को Overlook करते हुए दंडादेश पारित किया गया है। जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (यथा संशोधित) में निहित विभागीय जाँच

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा सत्यमेव जयते

एवं दंड अधिरोपन के प्रावधानों एवं सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त **Findings**(On Facts and Legal Points) के आधार पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा –सह– अनुसाशनिक प्राधिकार के अपीलाधीन दण्डादेश ज्ञापांक 1045/सा0 दिनांक 07.12.2020 को निरस्त किया जाता है। यह आदेश आपराधिक मामला में सक्षम न्यायालय के निर्णय के फलाफल से प्रभावित रहेगा। विभागीय कार्यवाही का मूल अभिलेख जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को वापस भेजें।

17/3/2025.
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/2025.
प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।